मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण झाँसी

पंजीकरण दिनाँक: निर्णय दिनाँक: अवधि:
22/01/18 23/07/20 2 वर्ष, 6 माह, 1 दिन

पीठासीनः चन्द्रोदय कुमार, एच. जे. एस.

एम.ए.सी.पी. सं. 27/2018

1. श्रीमती फूलवती अहिरवार पत्नी हल्लू उम्र 33 वर्ष
2. अनिल पुत्र स्व. हल्लू उम्र 17 वर्ष
3. धर्मेन्द्र पुत्र स्व. हल्लू उम्र 16 वर्ष
   संरक्षक व सरवराकार मां श्रीमती फूलवती
4. मुलू पुत्र परमोले उम्र 66 वर्ष
   समस्त निवासीगण ग्राम विजयपुर, पो.टोरिया खास जिला टीकमगढ़, म. प्र.

-----याचीगण

बनाम

1. मुधुसूदन गुप्ता पुत्र श्री रामेश्वर गुप्ता निवासी प्रज्ञासनद दतिया रोड इन्दरगढ़, म. प्र.
.....वाहन स्वामी कार नं. एम.पी. 32 सी 0509
2. राजेश कुमार पटवा पुत्र श्री एल. एल. पटवा निवासी ग्राम ररूआ जीवन तहसील स्योंडा जिला दतिया, म. प्र.
.....चालक कार नं. एम.पी.32 सी 0509
3. नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि. जरिए मण्डलीय प्रबन्धक सि. ला., झाँसी
.....बीमा कम्पनी वाहन कार नं. एम.पी. 32 सी 0509

-----विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता– श्री डी.के.शर्मा
विपक्षी सं. 1 व 2 के अधिवक्ता– श्री राजेन्द्र कुमार रावत
विपक्षी सं. 3 के अधिवक्ता– अधिवक्ता श्री एस. सी. गुप्ता

निर्णय

प्रस्तुत याचिका याचीगण द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा– 166 व 140 के अन्तर्गत कथित मोटर वाहन दुर्घटना में हल्लू अहिरवार की मृत्यु के कारण मुब. 25,00,000/– रुपये क्षतिपूर्ति मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज हेतु विपक्षीगण के विरूद्ध योजित की गयी है।

2. संक्षेप में प्रकरण यह है कि **हल्लू** दिनांक **10.12.2017** को समय करीब 4 बजे भदरवारा से अपने गांव जाने के लिये भदरवारा की पुलिया के पास खड़ा था। उसी समय कल्लू एक अन्य व्यक्ति को मोटर साइकिल पर बैठाकर आ रहा था कि प्रश्नगत कार सं. **एम.पी. 32 सी 0509** मोटर साइकिल को रोंदती हुयी हल्लू के ऊपर चढ़ गयी जिससे हल्लू व मोटर साइकिल सवार कल्लू व एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गये तथा कार चालक कार को मौंके पर छोड़कर भाग गया। इलाज हेतु सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मऊरानीपुर लाया गया तत्पश्चात उन्हें मेडिकल कालेज, झाँसी ले जाया गया जहॉ पर हल्लू की दौरान इलाज मृत्यु हो गयी। मृतक हल्लू की उम्र **35 वर्ष** थी तथा वह **राज मिस्त्री** का कार्य करके प्रतिमाह **15,000**/– रुपये कमा लेता था जो याचीगण पर खर्च करता था। मृतक याचीगण की आमदनी का मृतक एकमात्र सहारा था। दुर्घटना की रिपोर्ट मु. अ. सं. 822/2017 अन्तर्गत धारा– 279, 304ए भा. दं. सं. के तहत दिनांक **15.12.2017** को मृतक के पुत्र द्वारा दर्ज करायी गयी।

3. विपक्षी सं. 1 मधुसूदन गुप्ता प्रश्नगत कार के पंजीकृत स्वामी व विपक्षी सं. 2 राजेश कुमार पटवा उक्त कार के चालक ने संयुक्त रूप से 25 बी जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों को मुख्य रूप से इन्कार करते हुये यह कथन किये हैं कि उत्तरदाता विपक्षी सं. 2 इण्डिका कार नं. एम.पी. 32 सी 0509 का चालक कथित घटना के समय कथित घटना स्थल ग्राम भदरवारा की पुलिया के पास अपनी कार नहीं चला रहा था और न ही

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.07.23 15:16:51 IST
Reason: Document Owner
Location: MOTOR ACCIDENT CLAIM TRIBUNAL JHANSI

उसकी तेजी व लापरवाही से कथित दुर्घटना हुयी। विपक्षी सं. 2 एक कुशल चालक है व उसके पास वाहन चलाने का वैध व प्रभावी चालक लाइसेन्स है। विपक्षी सं. 1 उक्त प्रश्नगत कार का पंजीकृत स्वामी है। प्रश्नगत कार दिनांक 19.09.2017 से 15.09.2018 तक विपक्षी नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी के यहॉ असीमित दायित्वों के लिये बीमित है। विपक्षी सं. 1 का भी यह कथन है कि विपक्षी सं. 2 से कोई दुर्घटना नहीं हुयी है तथा उसका वाहन घर पर खड़ा था। विपक्षी सं. 1 ने यह भी कथन किया है कि यदि राय अदालत कोई जिम्मेंदारी उत्तरदाता की क्षतिपूर्ति धनराशि अदायगी की पायी जाती है तो उसको अदा करने की जिम्मेंदारी मिन उत्तरदाता के वाहन की बीमा कम्पनी नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी विपक्षी सं. 3 की है।

4. विपक्षी सं. 3 नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लि. की ओर से 17 बी जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये गये हैं कि कथित दुर्घटना में मोटर सायकिल व कार दो वाहन निहित हैं किन्तु मोटर सायकिल के मालिक, चालक व उसकी बीमा कम्पनी को पक्षकार नहीं बनाया गया है न ही मोटर साइकिल का बीमा था तथा उक्त दोनों वाहनों के चालकों के पास वैध व प्रभावी चालक लाइसेन्स नहीं थे तथा स्वतः मोटर साइकिल चालक ने गलती की है। मोटर साइकिल चालक स्वतः 2 आदमियों को बैठाकर तेजी व लापरवाही से मोटर साइकिल चला रहा था, जिस कारण उसने कार में टक्कर मारी न कि कार ने मोटर साइकिल में टक्कर मारी। इन आधारों पर याचीगण कोई क्षतिपूर्ति धनराशि पाने के अधिकारी नहीं है। विपक्षी बीमा कम्पनी का तभी दायित्व बनता है जब बीमा संविदा की सभी शर्तों का पालन किया गया हो।

5. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैः–

1. क्या दिनाँक 10.12.2017 को समय करीब 4 बजे भदरवारा की पुलिया के पास थाना मऊरानीपुर जिला झाँसी में जब हल्लू अहिरवार भदरवारा की पुलिया के पास खड़ा था उसी समय कल्लू एक अन्य व्यक्ति को मोटर साइकिल पर बैठाकर आ रहा था, तभी कार सं. एम.पी. 32 सी 0509 के चालक ने कार को तेजी व लापरवाही से चलाकर उक्त मोटर साइकिल में टक्कर मार दी तथा कार मोटर साइकिल को रोंदती हुयी हल्लू अहिरवार के ऊपर चढ़ गयी जिससे हल्लू अहिरवार व उक्त मोटर साइकिल चालक कल्लू व एक अन्य व्यक्ति मोटर साइकिल सवार को भी गम्भीर चोटें आयीं, जिसके कारण हल्लू अहिरवार की दौरान इलाज मृत्यु हो गयी?

2. क्या उक्त कथित दुर्घटना उक्त प्रश्नगत कार व मोटर साइकिल चालकों की योगदायी उपेक्षा व लापरवाही के कारण घटित हुयी है?

3. क्या कथित घटना के दिनाँक व समय पर उक्त प्रश्नगत वाहन कार एवं कथित मोटर साइकिल के चालक के पास वाहनों को चलाने के वैध व प्रभावी लाइसेन्स थे?

4. क्या कथित दुर्घटना के दिनाँक व समय पर प्रश्नगत कार विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी के यहॉ विधिवत बीमित थी?

5. क्या याचीगण कोई प्रतिकर की धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं, यदि हॉ, तो कितनी व किस विपक्षी से?

6. पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैंः–

याचीगण की ओर से

<u>अभिलेखीय साक्ष्य</u>

1– फेहरिस्त 7 सी1 से 8 सी1/1 लगायत 11 सी1 प्रपत्र दाखिल किये गये हैं जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आधार कार्ड, पंचनामा की छाया प्रतियॉ व सरपंच का प्रमाणपत्र शामिल हैं।

2– फेहरिस्त 19 सी1 से 20 सी1/1 लगायत 20 सी1/31 प्रपत्र दाखिल किये गये हैं जिनमें एफ . आई. आर., नक्शा नजरी, आरोप पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचनामा, रजिस्ट्रेशन, डी. एल., बीमा पॉलिसी व परिवार रजिस्टर की छाया प्रतियॉ शामिल हैं।

3– फेहरिस्त 26 सी1 से 27 सी1 लगायत 27 सी1/4 प्रपत्र दाखिल किये गये हैं जिनमें रजिस्ट्रेशन चालक लाइसेन्स, बीमा पॉलिसी व आधार कार्ड की छाया प्रतियॉ शामिल हैं। फेहरिस्त 42 सी1 से 43 सी1/2 लगायत 43 सी1/6 एम.ए.सी.पी. सं. 87/2018 श्रीमती भगवती निरंजन बनाम मधुसूदन आदि में न्यायालय ए.डी.जे./विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट), झॉसी द्वारा पारित निर्णय दिनॉकित 17.07.2019 की सत्य प्रतिलिपि दाखिल की गयी है।

<u>मौखिक साक्ष्य</u>

पी.डब्लू. 1 याचिया श्रीमती फूलवती एवं पी.डब्लू. 2 चक्षुदर्शी नारायणदास

विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी की ओर से

<u>अभिलेखीय साक्ष्य</u>

4– फेहरिस्त 38 सी1 से 39 सी2/1 लगायत 39 सी2/11 अन्वेषण आख्या तथा फेहरिस्त 33 सी1 से 34 सी1 अन्वेषक बीमा कम्पनी की भी अन्वेषण आख्या दाखिल की गयी है।

<u>मौखिक साक्ष्य</u>

5– डी.डब्लू. 1 अन्वेषणकर्ता पवन नारायण

7. मैंने वर्चुअल कोर्ट मे पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन किया।

8. <u>निस्तारण वाद बिन्दु सं. 1 व 2 :–</u>

res ipsa loquitur लैटिन का ऐसा सूत्र है जिसके अनुसार घटना स्वयं बोलती है, उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। घटना को देखने के लिए नक्शा नजरी महत्त्वपूर्ण अभिलेख है और इस प्रकरण में नक्शा नजरी निम्न प्रकार है –

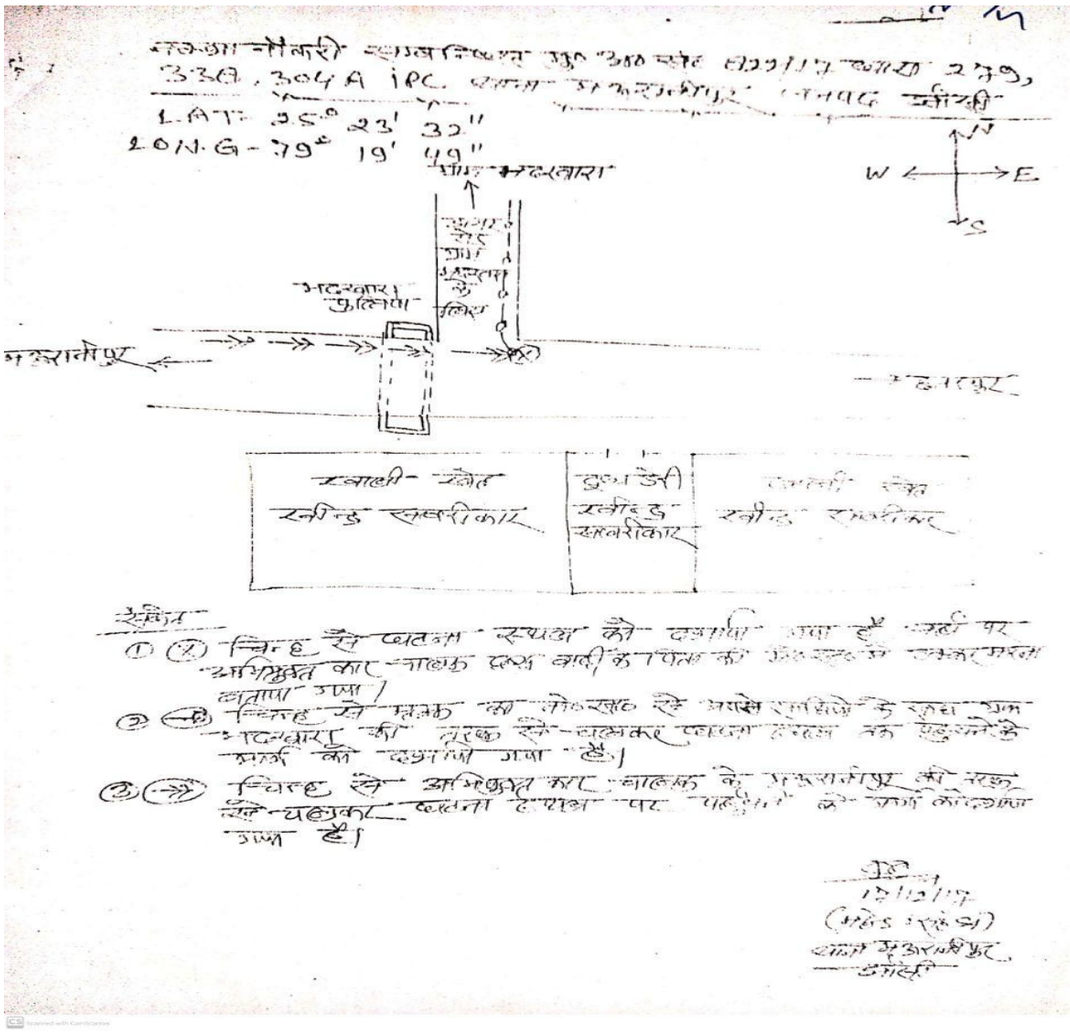

उक्त नक्शा नजरी से दर्शित होता है कि मोटरसाइकिल चालक ने जैसे ही मुख्य सड़क पर आने का प्रयास किया वैसे ही उसकी मोटरसाइकिल मऊरानीपुर की ओर से आ रही कार मे मोटरसाइकिल टकरा गई। क्या किसी को अचानक सड़क पर ऐसे प्रकट हो जाना चाहिए। मेरे विचार से बिल्कुल भी नहीं। क्या कार चालकों को चाहिए कि वह हाईवे पर भी 30–40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी कार चलाएं ताकि अचानक सड़क पर आ जाने वाले लोगों से बच बचाकर चलते हुए 1 घंटे के सफर को 2 घंटे में पूरा करें। मेरे विचार से नहीं। स्पष्ट है कि मोटरसाइकिल चालक व कार चालक दोनों की उपेक्षा से यह दुर्घटना हुई है। बीमा कंपनी के अन्वेषक ने भी अपने अन्वेषण में इसी प्रकार से दुर्घटना होना पाया है जिसका साक्ष्य उसने इस न्यायाधिकरण के समक्ष दिया है। मृतक के पुत्र धर्मेंद्र ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई है जिसमें भी यह कथन किया गया है कि उसके पिता अपनी मोटरसाइकिल से कल्लू और मुस्लिम भाई के साथ भरवारा से अपने घर वापस विजयपुर आ रहे थे तभी इंडिका गाड़ी ने तेज गति व लापरवाही से जोरदार टक्कर मार दी जबकि याचिका में यह कथानक रखा गया है कि मृतक पुलिया के पास खड़ा था उसी समय एक व्यक्ति कल्लू एक अन्य व्यक्ति को मोटरसाइकिल पर बैठा कर आ रहा था तभी मोटरसाइकिल व कार की टक्कर हो गई। कार मोटरसाइकिल को रोंदती हुई मृतक के ऊपर चढ़ गई जिससे मृतक व मोटरसाइकिल सवार कल्लू व एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। किंतु प्रश्न यह है कि याचिका कथानक व उसके समर्थन में साक्षीगण द्वारा जो साक्ष्य दिया गया है वह उक्त प्रकार से हुई घटना से अलग क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल स्पष्ट है और वह यह है कि जो कथानक याचिका में रखा गया है वह योगदाई उपेक्षा को नकारने के उद्देश्य रखा गया है जिससे क्षतिपूर्ति की धनराशि बढ़ सके और इसीलिए मोटरसाइकिल चालक को न तो पक्षकार बनाया गया है और न ही मोटरसाइकिल का नंबर याचिका में बताया गया है। इस दुर्घटना मे राम नरेश उर्फ कल्लू की भी मृत्यु हुई थी जिस के संबंध में एक प्रतिकर याचिका योजित की गई थी जिसका निर्णय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण /विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्ट झाँसी द्वारा दिनॉक 17.7.2019 को किया जा चुका है। उस निर्णय की सत्यापित प्रति पत्रावली पर प्रपत्र संख्या 43C1/2 ता. 43C1/6 पत्रावली पर उपलब्ध है जिसकी याचिका तथा साक्ष्य में भी यही कथानक है कि राम नरेश उर्फ कल्लू , हल्लू अहिरवार की मोटरसाइकिल, जिस पर बबलू खान भी बैठा था, पर बैठकर आते समय दुर्घटना हुई थी। वह याचिका इसी कथानक को स्वीकार करते हुए निर्णीत हुई है और क्षतिपूर्ति दिलाई गई है। यदि दुर्घटना में हल्लू अहिरवार की भी योगदाई उपेक्षा है तो फिर उस योगदाई उपेक्षा का खामियाजा इंश्योरेंस कंपनी क्यों भुगते यह एक बड़ा और विचारणीय प्रश्न है ।प्रस्तुत विधि व्यवस्था U.P. State Road Transport Corporation vs. Rani Srivastava and Ors. (31.08.2005 - ALLHC) : MANU/UP/1274/2005 जिसमें यह धारित किया गया है कि *केवल उस मामले में अंशदायी लापरवाही की दलील उपलब्ध है जहां दुर्घटना के तथ्य को स्वीकार किया जाता है न कि जहां इसे अस्वीकार किया जाता है* के तथ्य इस प्रकरण के तथ्यों से भिन्न हैं। उस प्रकरण में कोई इंश्योरेंस कंपनी पक्षकार नहीं थी बल्कि विपक्षी रोडवेज था और उसने दुर्घटना से इनकार किया था। इस प्रकरण में इंश्योरेंस कंपनी भी पक्षकार है और उसने अन्वेषण के पश्चात दुर्घटना को अस्वीकार नही किया है बल्कि स्वीकार किया है और पत्रावली पर अन्वेषण आख्या दाखिल की है। इसके विपरीत याची गण की ओर से याचिका में दुर्घटना का जो कथानक प्रस्तुत किया गया है वह अनुचित रूप से अपने लाभ के लिए वास्तविक तथ्यों को छुपा कर प्रस्तुत किया गया है। मान

लीजिए कि बडे वाहन के पिछले भाग से कोई अपनी योगदाई लापरवाही के कारण टकराया और चालक को पता नही चला और वाहन चलता चला गया। वाहन का नंबर लोगों ने नोट किया और एफ. आई. आर. हुई तो क्या ऐसे में याचिका के जवाब में किए गए अभिकथनों में चालक घटना को स्वीकार कर पाएगा। मेरे विचार से नहीं क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि उसके वाहन से कोई दुर्घटना भी हुई है। मान लीजिए कि किसी दुर्घटनाकारी वाहन के चालक में याची पक्ष से दुराभि संधि इस कारण से कर ले कि दुर्घटना के इनकार कर देने से याची पक्ष अपनी योगदाई उपेक्षा की कटौती से बच जाएगा और उसके बदले में उसके विरुद्ध अपराधिक मामले में याची पक्ष पक्षद्रोही हो जाएंगे तो क्या ऐसे मामले में न्यायाधिकरण द्वारा इंश्योरेंस कंपनी की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। इसी प्रकार यदि याची पक्ष घटना के वास्तविक तथ्यों के बजाय चालाकी से ऐसे तथ्य बताता है जिससे उसकी योगदाई उपेक्षा न्यायाधिकरण द्वारा संज्ञान में न ली जा सके तो क्या ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी की नहीं सुनी जाएगी। विधि व्यवस्था Sunita and Ors. Vs. Rajasthan State Road Transport Corporation and Ors. (14.02.2019 -SC) : MANU/SC/0204/2019 में यह प्रेक्षित किया गया है कि *मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के संदर्भ में दावा याचिका के निपटारे के समय, न्यायाधिकरण की सख्त मायनों मे (stricto sensu) पार्टियों के अभिकथनो से बाध्य नहीं है, इसका कार्य उचित मुआवजे की राशि निर्धारित करना है।*

9. बताये जा रहे चक्षुदर्शी पी.डब्लू. 2 नारायणदास का गवाह के रूप मे कोई उल्लेख न तो एफ. आई. आर. में है, न तो आरोपपत्र में है, और यहाँ तक कि न ही इस याचिका में है और न ही उस याचिका एम.ए.सी.पी. सं. 87/2018 श्रीमती भगवती निरंजन बनाम मधुसूदन आदि में है तो इस साक्षी पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाओं में अक्सर चक्षुदर्शी साक्षी को नकली आभूषण की तरह रोपित किया जाता है। इस साक्षी की प्रति परीक्षा से भी इसके मौके पर होने का कथन झूठा साबित हो जाता है, जैसे प्रति परीक्षा में इसने कहा है कि घटनास्थल के पास कोई मकान वह खेत नहीं है जबकि नक्शा नजरी के अनुसार घटनास्थल के पास दूध डेरी रविंद्र खाली खेत रविंद्र दर्शाए गए हैं। इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में कहा है कि वह घटनास्थल की चौहद्दी नहीं बता सकता। उसने कल्लू को नही देखा। उसे मृतक हल्लू से मतलब है। मौके पर हल्लू मरा था। जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट व पुलिस जीडी में इंद्राज के अनुसार हल्लू की मृत्यु अस्पताल में रात 10:00 बजे हुई थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि दुर्घटना में जब कल्लू भी घायल हुआ था तो इसने कल्लू को कैसे नहीं देखा और यह चौहद्दी क्यों नहीं बता सकता। इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में यह भी कहा है के हल्लू की उम्र वह नहीं बता सकता। 30–40 के बीच की होगी। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हल्लू 45 वर्ष के थे। आयु में इतना वेरिएशन कोई कैसे ला सकता है। इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि इसने रिपोर्ट नहीं लिखायी थी ना अस्पताल लेकर गया था जबकि गवाही देने के लिए यह तत्पर प्रतीत होते हैं। इस प्रति परीक्षा से कोई दो राय नहीं रह जाती कि यह साक्षी रोपित किए गए हैं।
विधि व्यवस्था Mohammed Siddique and Ors. vs. National Insurance Company Ltd. and Ors. (08.01.2020 – SC) : MANU/SC/0026/2020 यह प्रेक्षित किया गया है कि *यदि मोटरसाइकिल पर तीन लोग बैठे हैं और पीछे से टक्कर मारी गई है तो यह दुर्घटना मोटरसाइकिल पर तीन लोगों के बैठे होने के कारण घटित होनी नहीं मानी जाएगी बल्कि टक्कर मारने वाले वाहन की लापरवाही के कारण घटित होनी मानी जाएगी।* विधि व्यवस्था Managing Director, Tamil Nadu ... vs Abdul Salam and Ors. (29.01.2003 – MADHC) यह प्रेक्षित किया गया है कि *यदि मोटरसाइकिल पर तीन लोग बैठे है और उनमें से किसी के हड़बड़ाने से दुर्घटना कारित होती है तो यह मामला*

योगदाई उपेक्षा का होगा। प्रस्तुत प्रकरण में तीन सवार मोटरसाइकिल का मुख्य रोड पर आने के प्रयास में अचानक कार आई है ऐसे में मोटरसाइकिल का कोई न कोई सवार अवश्य हड़बड़ाया होगा और मोटरसाइकिल अनियंत्रित हुई होगी। इस आधार पर भी योग दाई उपेक्षा का मामला बनता है। मोटरसाइकिल चालक का लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता कि वह ठीक से मोटरसाइकिल चलाना नहीं जानता था। इस आधार पर भी योगदाई उपेक्षा का मामला बनता है।

10. एफ. आई. आर., नक्शा नजरी, आरोप पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा विपक्षी संख्या 3 इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कराए गए अन्वेषण में दुर्घटना के होने तथा उसमें हल्लू की मृत्यु हो जाने का तथ्य साबित होता है और यह भी साबित होता है कि इस दुर्घटना में हल्लू की भी 30% की योग दाई उपेक्षा रही थी।

11. <u>निस्तारण वाद बिन्दु सं. 3 :–</u>

इस वाद बिन्दु को साबित करने के लिये याची की ओर से राजेश कुमार पटवा का चालक लाइसेन्स 20 सी1/29 व 27 सी1/3 दाखिल किया गया है। यह चालक लाइसेन्स दिनांक–19.11.2015 को जारी किया गया तथा जो दिनांक–25.12.2027 तक के लिये एम सी डब्लू जी आर,एल एम वी/एम टी व एच टी वी के लिये वैध व प्रभावी है तथा दिनांक–18.11.2018 से ट्रान्सपोर्ट वाहन चलाने के लिये वैध व प्रभावी है। इस अनुज्ञप्ति का सत्यापन विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी द्वारा करा लिया गया है जो सही पाया गया है। राजेश कुमार पटवा के विरुद्ध पुलिस ने आरोप पत्र प्रस्तुत किया है। दुर्घटना दिनांक 10.12.2017 की है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कथित घटना के दिनांक व समय पर उक्त प्रश्नगत वाहन कार के चालक के पास कार को चलाने के वैध व प्रभावी लाइसेन्स था।

जहां तक प्रश्नगत मोटर साइकिल चालक के ड्राईविंग लाइसेन्स के वैध व प्रभावी होने का प्रश्न है, पत्रावली पर न तो याचीगण की ओर से न ही विपक्षीगण की ओर से मोटर साइकिल के चालक का ड्राईविंग लाइसेन्स दाखिल किया गया है। अतः साक्ष्य के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता है कि कथित घटना के दिनांक व समय पर उक्त प्रश्नगत मोटर साइकिल के चालक के पास मोटर साइकिल चलाने के वैध व प्रभावी लाइसेन्स था।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि कथित घटना के दिनांक व समय पर उक्त प्रश्नगत कार के चालक के पास कार को चलाने के वैध व प्रभावी लाइसेन्स था किन्तु कथित दुर्घटना के दिनांक व समय पर प्रश्नगत मोटर साइकिल के चालक के पास मोटर साइकिल चलाने के वैध व प्रभावी लाइसेन्स नही था तदनुसार वाद बिन्दु सं. 3 निर्णीत किया जाता है।

12. <u>निस्तारण वाद बिन्दु सं. 4 :–</u>

इस वाद बिन्दु के सम्बन्घ में याचीगण की ओर से 20 सी1/30 व 27 सी1/2 प्रश्नगत कार की बीमा

पॉलिसी की छाया प्रतियाँ दाखिल की गयी हैं जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत कार सं. एम.पी. 32 सी 0509 दिनांक–19.09.2017 से 18.09.2018 तक के लिये बीमित थी। इस बीमा पॉलिसी का खंडन विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी द्वारा नहीं किया गया है। दुर्घटना दिनॉक 10.12.2017 की है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दुर्घटना के दिनॉक व समय पर प्रश्नगत कार विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी के यहॉ विधिवत बीमित थी। वाद बिन्दु सं. 4 तदनुसार सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

13. <u>निस्तारण वाद बिन्दु सं. 5 :–</u>

वाद बिन्दु सं. 1 लगायत 4 के निस्तारण से यह साबित है कि प्रश्नगत दुर्घटना में कार चालक की 70% लापरवाही के कारण दुर्घटना घटित हुयी है, जिसके परिणाम स्वरूप मृतक हल्लू को गम्भीर चोटे आयी और दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गयी एवं उक्त प्रश्नगत कार के चालक के पास दुर्घटना के दिनांक व समय पर वैध एवं प्रभावी लाइसेन्स था तथा

प्रश्नगत कार विपक्षी सं. 3 नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी के यहॉ दुर्घटना की दिनॉक व समय पर विधिवत बीमित थी। पी.डब्लू. 1 के रूप में याची सं. 1 श्रीमती फूलवती अहिरवार ने साक्ष्य दिया है कि मृतक अपनी आमदनी का खर्च उस पर एवं बच्चों के ऊपर करते थे। अतः याचीगण को क्षतिपूर्ति धनराशि अदा करने का उत्तरदायित्व विपक्षी सं. 3 नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी है। अब प्रश्न यह है कि याचीगण कितनी क्षतिपूर्ति धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं?

14. <u>क्षतिपूर्ति की गणना –</u>

पी.डबलू. 1 जो कि हितबद्ध साक्षी है, ने राजमिस्त्री के कार्य से मृतक की आय 500/–रुपये प्रतिदिन बताई है किन्तु मृतक की आय का कोई स्वतंत्र या प्रलेखीय साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया गया है। इन परिस्थितियों में नोशनल आय को संज्ञान में लेना ही न्यायोचित होगा। विधि व्यवस्था Laxmi Devi and Ors. vs. Mohammad Tabbar and Ors. (25.03.2008 – SC) : MANU/SC/ 7368/ 2008 मे माननीय उच्चतम न्याालय द्वारा अकुशल मजदूर के लिए 12 वर्ष पूर्व ₹100 प्रति दिन की मजदूरी उचित मानी है। विधि व्यवस्था Chandrawati vs. Shushil Kumar and Ors. (01.08.2018 – ALLHC) : MANU/UP/2954/2018 मे माननीय उच्च न्याालय इलाहाबाद द्वारा अकुशल मजदूर के लिए ₹ 200/– प्रतिदिन की मजदूरी उचित मानी है। उल्लेखनीय है कि भारत मे असंगठित क्षेत्र के कार्मिक को पूरे वर्ष रोजगार नही मिलता है। वास्तव मे कल्पित आय एक अनुमान है जो काल, स्थान व परिस्थितयों पर आधारित होता है। माह मे औसतन चार दिन कार्य न लग पाने की संभावना रहती है। इस प्रकार मृतक की कल्पित आय (Notional Income) ₹ 165/– प्रतिदिन निर्धारित की जाती है।

13. याचीगण ने याचिका में मृतक की उम्र 35 वर्ष अंकित की है तथा पी.डब्लू. 1 के रूप में भी याची सं. 1 ने मृतक की आयु 35 वर्ष बतायी है किंतु ब्राट डेड सर्टिफिकेट जिस पर पी.डब्लू. 1 का निशानी अंगूठा लगा है प्रपत्र सं. 20C1/10, प्रतिसार निरीक्षक के पत्र प्रपत्र सं. 10C1/6 चौकी प्रभारी के पत्र प्रपत्र सं. 10C1/6, पंचनामा प्रपत्र सं. 10C1/1–10C1/3 व पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृतक की आयु 45 वर्ष अंकित है। याचीगण ने मृतक के उम्र के सम्बन्ध में अन्य कोई अभिलेखीय साक्ष्य दाखिल नहीं की है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड या परिवार रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं और चूँकि हितबद्ध साक्षी है अतः मैं इस निष्कर्ष का की PW1 ने मृतक की आयु कम करके बताई है ताकि अधिक क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सके इन परिस्थितियों में मृतक की आयु 45 वर्ष निर्धारित करता हूं। विधि व्यवस्था National Insurance Company Limited vs. Pranay Sethi and Ors. (31.10.2017 – SC) : MANU/SC/1366/2017 के अनुसार 14 का गुणक, 40–50 आयु वर्ग के लिए 25 % भविष्य मे प्रत्याशा की वृद्धि, स्वयं के खर्च पर 1/4 भाग की कटौती, संपदा की क्षति के लिए ₹ 15,000/–, दाह संस्कार के लिए ₹ 15,000/– तथा वैवाहिक सहचर्य की हानि के लिए ₹ 40,000/– निर्धारित किये जाते हैं।

वार्षिक आय= आय प्रतिदिन x माह के दिन x वर्ष के माह	165	30	12	59400
भविष्य प्रत्याशा (प्रतिशत में)			25	14850
स्वयं पर खर्च (भाग में)			4	18562.5
स्वयं पर खर्च घटाने पर (गुण्य)				55687.5
गुणक			14	779625
वैवाहिक साहचर्य की क्षति			40000	819625
संपदा की क्षति			15000	834625
अंतिम संस्कार पर खर्च			10000	**844625**
मोटरसाईकल की योगदायी उपेक्षा (प्रतिशत में)			30	253387.5
कार की योगदायी उपेक्षा (प्रतिशत में)			70	591237.5
देय क्षतिपूर्ति				**591237.5**

इस प्रकार क्षतिपूर्ति की कुल धनराशि ₹ 5,91,238/– आती है। विधि व्यवस्था National Insurance Company Ltd. vs. Mannat Johal and Ors. (23.04.2019 – SC) : MANU/SC/0589/2019 के आलोक मे 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा। चूँकि याचीगण मृतक के माता–पिता हैं अतः उक्त प्रतिकर की धनराशि में से याचीगण सं. 1, 2, 3, 4 के मध्य 30, 25, 25, 20 के अनुपात में बंटवारा न्यायोचित होगा। विधि व्यवस्था Jai Prakash vs. National Insurance Co. Ltd. and Ors. (17.12.2009 – SC) : MANU/SC/1949/2009 व National Insurance Company Ltd. Vs. Mannat Johal and Ors. (23.04.2019– SC): MANU/SC/0589/2019 के आलोक मे क्षतिपूर्ति धनराशि की सावधि जमा से वार्षिक ब्याज प्राप्त करने की योजना बनाया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

याचीगण की याचिका एम.ए.सी.पी. सं. 27/2018 विपक्षी सं. 1 व 2 के विरुद्ध आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति धनराशि ₹ 5,91,238/– (पाँच लाख इक्यानवे हजार दो सौ अड़तीस) हेतु संयुक्त एवं प्रथक–प्रथक दायित्व के आधार पर स्वीकार की जाती है। विपक्षी सं. 3 नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी को आदेशित किया जाता है कि वह याचीगण को निर्णय के दिनॉक से 60 दिन के अंदर क्षतिपूर्ति की धनराशि ₹ 5,91,238/– (पाँच लाख इक्यानवे हजार दो सौ अड़तीस) मय 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक का भुगतान कर दे।

याचीगण सं. 1, 2, 3, 4 के मध्य 30, 25, 25, 20 के अनुपात में अपना–अपना भाग प्राप्त करेगें तथा याची संख्या 1, 2 व 3 की धनराशि का 75% भाग सर्वोच्च ब्याज दर देने वाली सावधि जमा मे 5 वर्ष के लिए तथा याची संख्या 4 की धनराशि का 75% भाग सर्वोच्च ब्याज दर देने वाली सावधि जमा मे 3 वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक मे रखे जांएगे जिसका प्रति वर्ष ब्याज याचीगण प्राप्त करते रहेंगें। याची संख्या 1, 2 की इच्छा पर 5 वर्ष के पश्चात धनराशि पुनर्निवेशित की जा सकेगी।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो।

दिनॉक 23.07.2020

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनॉकित कर खुले न्यायालय मे उदघोषित किया गया।

दिनॉक 23.07.2020

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी